आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता का राजस्व न्यायालय, जामताड़ा

वाद सं0 – 139 / 2012-13

गिरीश मुर्मू :- **प्रथम पक्ष**

:- बनाम :-

16/- आना रैयत मौजा – चालना :- **द्वितीय पक्ष**

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

वर्तमान वाद आवेदक गिरीश मुर्मू, पिता – स्व0 राम चन्द्र मुर्मू, ग्राम - चालना , थाना-जामताड़ा , जिला - जामताड़ा के मौजा – चालना , के दाग सं0 – 766/1 , रकवा -0.24 एकड़ तथा दाग सं0 – 766 /1 रकवा – 1.24 डी0 , कुल रकवा – 1.38 एकड़ जमीन का भू-दान पट्टा सम्पुष्टि एंव लगान धार्य हेतु आवेदन दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0 - 06/ मुक0 (भूदान) – 380 /14 1031/ रा0 , राँची दिनांक – 11.03.2016 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के कडिंका में (2) सं0 – 1411 /रा0 , दिनांक – 03.05.05 के द्वारा तत्कालीन कमिटी को बर्खास्त कर दिया गया है। सम्प्रति झारखण्ड राज्यान्तर्गत भूदान राज्यन्तर्गत भूदान यज्ञ कमिटी कार्यरत है।

साथ ही कडिंका (5) के तहत एक भूदान से प्राप्त भूमि को राजस्व , निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग द्वारा W.P [PIL] No.- 3290/2014 राधादेवी – बनाम- झारखण्ड राज्य एंव अन्य में दिनांक – 09.12.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम , 1954 (झारखण्ड अधिनियम, 12, 1954) की धारा – (3)(1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा - (4)(1) के अनुसार भूदान से प्राप्त भूमि को भूमिहिनों के बीच वितरीत करने एंव भूदान भूमि का शुद्धि पत्र निर्गमन – निष्पादन , अनुश्रवण एंव इसका सशक्त ढंग से कार्यान्वियन करने के साथ कार्रवाई के निमित्त कमिटी गठित करने का निर्णय करते हुए निम्नंवत/ सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

इस संबंध में संबंधित राजस्व उपनिरिक्षक का कहना है कि उक्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाता की भूमि है तथा खतियान में पुरातन पतित कहकर दर्ज है। साथ ही यह भूमि प्रतिबंधित सूची में दर्ज है , जो **NGDRS** मे अपलोड हो गई है। उक्त भूमि पर आवेदक का दखल का भी कोई प्रमाण अंकित नही है। यह भूमि दानकर्ता जगत नारायण सिंह की निजी भूमि ही नही थी। स्पष्ट है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को एंव उद्देश्यों कों विफल करने के क्रम मे यह पट्टा बनाया गया है , जो

प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में अधिसूचना सं0-1031/रा. दिनांक-11.03.2016 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस पर निर्णय करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एंव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी जामताड़ा को भेजे।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
जामताड़ा।

Digitally signed by SANJAY PANDEY
Date: 2023.03.28 13:30:28 +05:30
Location: 192.168.137.1